International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 04(II), October - December, 2021, pp.94-98

काला धन और विमुद्रीकरण

मांगीलाल जैन*

सार

पिछले कुछ सालो में काले धन का मुद्दा देश के राष्ट्रीय पटल पर छाया रहा है। देश की राजनीति को काले धन ने प्रभावित किया है। इसी मुद्दे ने 2014 में सत्ता परिवर्तन में भी अपनी भूमिका निभाई लेकिन काले धन पर कोई ठोस कदम आज तक कोई सरकार इस रूप में नहीं उठा पाई कि इस पर लगाम लग सके। आज भी देश में तथा देश के बाहर देशवासियों का काला धन बेहिसाब है, जिसका सही आँकड़ा बताना संभव नहीं है।

शब्दकोशः विमुद्रीकरण, *काला धन, बैंकिंग व्यवस्था, अवैध साधन, भ्रष्टाचार।*

प्रस्तावना

विमुद्रीकरण को काले धन पर लगाम लगाने के प्रभावी कदम के रूप में देखा गया है परंतु देश की प्रशासनिक व बैंकिंग व्यवस्था ने विमुद्रीकरण को ही फेल कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य से विमुद्रीकरण की घोषणा हुई, उस रूप में उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई।

काले धन को दो रूपो में परिभाषित किया जाता है –

- काले धन को प्रथम दृष्ट्या अवैध साधनों से प्राप्त धन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस रूप में असामाजिक तत्व निहित है। आपराधिक गतिविधियों यथा लूटमार, नकली और निषिद्ध माल के सामान की तस्करी, नशीले पदार्थो का व्यापार व उत्पादन, जालसाजी, अवैध खनन, अवैध शराब व्यापार, डकैती, अपहरण, मानव तस्करी, यौन शोषण व वैश्यावृत्ति, नशीली दवाओं की कमाई, बैंक धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, हथियारो के अवैध व्यापार आदि की आय को काले धन के रूप में शामिल किया जाता है। इनमें से कुछ कार्य मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 की रोकथाम अनुसूची में शामिल किया गया है।[1]
- काला धन दूसरे रूप में कानूनी तौर पर अनुमत्य आर्थिक कार्यो से उत्पन्न राशि के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिस राशि को कर से संबधित लोक अधिकारियों को सही नहीं बताई गई या जिसका हिसाब नहीं रखा गया है या ऐसी राशि को लोक अधिकारियों से छुपाया गया है। जैसे यदि कोई सम्पति/प्रोपर्टी खरीदी गई है और उसका 50 प्रतिशत भुगतान चैक से तथा 50 प्रतिशत भुगतान नकद कर दिया गया तो ऐसी राशि प्राप्त करने वाला चैक वाली राशि की जानकारी देता है परंतु नकद प्राप्त राशि की जानकारी नहीं देता है। यह नकद राशि काले धन का रूप होती है। भारत जैसे देश में बड़े बड़े व्यापारी हर विक्रय का बिल नहीं बनाते या सही बिल न देकर रफ बिल देते है तो ऐसी स्थिति में वे उस राशि को अपनी आयकर गणना में नहीं लेते है तथा उस राशि का ब्यौरा कर अधिकारियों को नहीं मिल पाता है।

---

6 सहायक आचार्य – ए.बी.एस.टी., एम.बी.सी.राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर, राजस्थान।

काले धन को देश के बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं आदि ने स्विस बैंक में जमा करा रखा है। समय समय पर मांग उठती रही है कि स्विस बैंक वहाँ रखे धन को छिपाने वालो के नाम सार्वजनिक करे। मई, 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार ने शपथ के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एम बी शाह के नेतृत्व में विशेष जाँच दल बनाया। एसआईटी के मुख्य न्यायमूर्ति एम बी शाह ने कहा कि विदेशो में काला धन रखने वाले भारतीयों के नामो व खातो की जानकारी साझा करने हेतु विदेशी सरकारो को बाध्य करने हेतु कर चोरी को गंभीर अपराध बनाया जाना चाहिए।[2]एम बी शाह के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने पहले 15 व 20 लाख रूपये नकदी रखने की सिफारिश की परंतु अपनी तीसरी संशोधित सिफारिश में 1 करोड़ रूपये से अधिक नकदी रखने पर उसे जब्त करने की अनुशंसा की।[3]

भारत में कर चोरी दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। आयकर कानून, 1961 के तहत इससे निपटते है। विदेशी विनियम उल्लंघन के मामले विदेशी विनियम प्रबंधन कानून अर्थात् फेमा के तहत निपटाए जाते है। दोनो ही प्रकार के मामले दीवानी मामलो की श्रेणी में आने से आपराधिक गंभीर मामले नहीं बनते, अतः कहीं न कहीं विदेशी सरकारे इन मामलो को गंभीरता से नहीं लेती। अतः आवश्यक है कि इन मामलो को गंभीर मामले बना दिया जाए, जिससे दूसरे देशो की सरकार इन्हे गंभीरता से ले तथा काला धन छिपाने वालो के नाम व रकम सार्वजनिक करे।[4]

काले धन की उत्पति

काले धन की उत्पति अनेक कारणों से हो सकती हैः

- मुद्रास्फीति काले धन का कारण और परिणाम दोनो है। मुद्रास्फीति के कारण आय को छिपाने और कर को बचाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है, जिससे काला धन उत्पन्न होता है।
- दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कमदर पर मिलने वाली राशन सामग्री ने भी काले धल को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाई है।
- जब बाजार में किसी वस्तु की मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है तो ऐसी स्थिति में लोगो को अधिक कीमतें चुकानी पड़ती है, जिससे काले धन में वृद्धि होती है।
- भारत में कृषि आय को आयकर के दायरे से बाहर रखते है। अतः लोग अपने काले धन को विधिक दिखाने हेतु उसे कृषि आय का नाम दे देते है।
- आपराधिक गतिविधियों जैसे जुआ, तस्करी, लूटमार, डकैती, सट्टा आदि के द्वारा भी बेहिसाब संपति कमाई जाती है। इस प्रकार भी काले धन में इजाफा होता है।

धन शोधन (मनी लांड्रिंग)

अवैध रूप से प्राप्त धन को छिपाने की कला धन शोधन कहलाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से काले धन को वैध बना दिया जाता है। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया था कि दुनिया भर में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दो से पांच प्रतिशत तक धनशोधन के मामले शामिल है। काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया का सामना करने हेतु एक अंतः सरकारी निकाय एफएटीएफ का गठन किया गया। इस संस्था ने स्वीकार किया कि कुल मिलाकर वैध बनाए गए काले धन का विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करना मुश्किल है। इस लिए काले धन का सटीक अनुमान प्रकाशित नहीं किया जाता है।[5]

जी – 7 देशो द्वारा फाईनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स का गठन 1989 में एक अंतः सरकारी निकाय के रूप में किया गयां, जिसका मूल उद्देश्य धनशोधन का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को विकसित करना तथा प्रोत्साहित करना है। इस संस्था ने काले धन को वैध बनाने पर 40 अनुशंसाऐं व आतंकवादी वित्तपोषण के संदर्भ में 9 विशेष अनुशंसाऐं तैयार की है। एफ ए टी एफ अपने प्रतिवेदनों में इन सिफारिशो के खिलाफ प्रत्येक सदस्य देश का मूल्यांकन करता है। जो देश इन सिफारिशो का अनुपालन नहीं करते है, उन पर वित्तीय प्रतिबंध भी लगाए जाते है।

काले धन का दुष्प्रभाव

- भारतीय अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अस्थित्व है। इस दूसरी अर्थव्यवस्था को पैरलल ईकोनोमी या समानांतर अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। एक अर्थव्यवस्था तभी वैध होती है, जब अर्थव्यवस्था के हर लेनदेन का लेखा हो। यदि लेन देन का लेखा किसी लेखा पुस्तक में नहीं है, तो यह काली अर्थव्यवस्था कहलाती है और यह किसी देश हेतु अत्यंत खतरनाक है।6
- काले धन का कोई लेखा नहीं होता है। अतः देश में कितनी करैंसी चल रही, इसका सही हिसाब नहीं होता। इससे सरकार को विकास कार्य हेतु नीति नियोजन में काफी कठिनाई होती है।
- काले धन का उपयोग आतंकी गतिविधियो में भी होता है। अतः इस धन का उपयोग देश के खिलाफ होता है।
- काले धन का एक कारण कालाबाजारी भी है। इससे लोगो को किसी वस्तु के बाजार भाव से अधिक दाम देने पड़ते है। इससे अमीरी व गरीबी का अंतर अधिक बढ़ता है। समाज में आय और संपदा के मामले में असमानता में वृद्धि होती है।
- सरकार को राजस्व की अत्यंत हानि होती है, जिसका प्रभाव देश के विकास कार्यो पर पड़ता है।

विमुद्रीकरण

भारत में 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ तथा दस साल की यूपीए सरकार का सूर्यास्त हुआ और गठबंधन सरकार के युग से बाहर आते हुए भारत में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाती है। इससे पूर्व की सरकार ने काले धन के मुद्दे के कारण तथा बाबा रामदेव सहित अनेक विरोधियों के आंदोलन का सामना किया। यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विनोद रॉय की रिपोर्ट, टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला आदि ने सरकार की खूब किरकिरी कराई और परिणाम 2014 में सत्ता परिवर्तन के रूप में देखने को मिला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सरकार बनने के लगभग आधा कार्यकाल पूरा होते होते 8 नवम्बर, 2016 को अनेक उद्देश्यों से कुछ कार्या को छोड़कर 500 व 1000 रू. के नोटो के प्रचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिससे देश की 86 प्रतिशत मुद्रा अवैध घोषित कर दी गई। विमुद्रीकरण की घोषणा ने एकबारगी देश की जनता में तहलका मचा दिया क्योंकि भारत में अधिकांश जनता अपने घरो में धन की बचत का बड़ा हिस्सा रखते है, जो 500 व 1000 रू. की मुद्रा के रूप में होता हे। विमुद्रीकरण की घोषणा के पीछे मूल उद्देश्य थे – भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, काले धन को उजागर करना, आतंकियों द्वारा प्रयुक्त धन पर रोक लगाना, नकली नोटो की छपाई को रोकना इत्यादि। विमुद्रीकरण को क्रियान्वित कर 500 रू. व 2000 रू. की नवीन करैंसी जारी की गई परंतु लोक चर्चा में दो प्रकार के सवाल निरंतर खड़े हुए है। पहला प्रश्न विमुद्रीकरण को लागू करने के तरीके व कार्य प्रबंधन से जुड़ा है। दूसरा सवाल भावी आर्थिक प्रभावों से जुड़ा है। विमुद्रीकरण से काले धन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। काले धन के स्वामियों के सामने विवशता थी कि वे अपनी आय को घोषित कर दंडात्मक कर भरे या कोल धन को छुपाकर रखे और नये नोटो में न बदलवाकर उसका शत प्रतिशत नुकसान उठाए या अपने काले धन को परिवर्तन लागतो द्वारा सफेद धन में परिवर्तित कराए। विमुद्रीकरण के दौरान जो काले धन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य था, वह पूर्ण नहीं हो पाया और मुख्यतः हमारी व्यवस्था ने ही इसे असफल कर दिया। लोगो ने बैंको में अपने मिलने वालो के खाली खातो को धन से भरकर काले धन का श्वेतीकरण करने का प्रयास किया। कुछ लोगो ने गरीब लोगो को बैंको की कतारों में खड़ा करके अपने नोटो को बदलवाया। विमुद्रीकरण के दौरान कहा गया था कि इस अवधि में जो बैंक खाते अप्रत्याशित परिवर्तन देख रहे थे, उनकी जाँच होगी लेकिन ऐसा धरातल पर देखने को नहीं मिला। विमुद्रीकरण का एक सकारात्मक परिणाम यह जरूर देखने को मिल रहा है कि इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ा है। डिजिटल भुगतान लोगो की आदत में आ रहा है।

काले धन पर रोक

काले धन पर रोक लगाने हेतु विमुद्रीकरण किया गया परंतु यह हर बार उपयोग आने वाला निराकरण नहीं है, इससे व्यवस्था की खामियों ने असफल कर दिया। काले धन पर रोक लगाने हेतु कुछ प्रमुख उपाय हो सकते है –

- कर प्रणाली वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गठित होनी चाहिए। जब कर की दर ज्यादा होती है तो वो लोगो को कर चोरी के लिए प्रेरित करती है। यदि कर की दर कम है तो लोग अपने धन की घोषणा कर उसे श्वेत रखने का ही प्रयास करते है। अतः देश में कर प्रणाली का पुनर्गठन करना चाहिए। आयकर को कम करने पर आगे बढ़ना चाहिए या आयकर का कोई ऐसा विकल्प ढूंढना चाहिए कि देश की जनता को अपनी आय छिपानी ना पड़े।
- लोगो को अधिकाधिक कर देने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए तथा ईमानदार कर दाताओं को समय समय पर सम्मानित कर लोगो को कर देने की भावना से लबरेज करना चाहिए। यह भावना भी भरनी चाहिए कि कर से देश को प्राप्त राशि ही देश के विकास में काम आती है।
- ईमानदार कर अधिकारियों की नियुक्ति कर कर चोरी के मामलो को गंभीरता से लेने की दिशा में काम करना चाहिए।
- सरकार को मूल्य नियंत्रण नीति पर काम करना चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में होने वाले कार्या की सही मोनिटरिंग भी होनी चाहिए, ताकि अनावश्यक व्यय न हो, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सके।
- आयकर अधिकारियों की स्वायत्तता बढ़ाई जानी चाहिए।
- हवाला कारोबार पर अंकुश लगानी चाहिए।
- अनेक लोग धर्मार्थ संस्थाओं को दान न देकर भी दान की रसीद प्राप्त कर लेते है तथा कर की छूट ले लेते है, जिससे काले धन में वृद्धि होती है। अतः धर्मार्थ संस्थाओं की आय की मोनिटरिंग होनी चाहिए। उनके लिए भी वार्षिक रिटर्न अनिवार्य हो तथा कोई व्यक्ति अनावश्यक कर छूट न उठा पाए, यह सुनिश्चित करना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान, कैशलेस ट्रांजेक्शन का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। इन माध्यमों से किए गए भुगतान का हर रिकॉर्ड होता है, जिससे काले धन को रोकनें में सहायता मिलती है।

काले धन के खिलाफ जनजागृति

काले धन के खिलाफ सरकारी प्रयासों के साथ जनजागरूकता भी जरूरी है। देश में हर चुनावों में तय सीमा की तुलना में बहुत अधिक खर्चा होता है। नेता चुनाव जीतने के लिए जनता को राजी करने हेतु शराब इत्यादि पर बहुत अधिक खर्च करते है, तो लाजमी सी बात है, ऐसे नेता चुनाव जीतने के बाद वापिस धन कमाने का प्रयास करते है, भ्रष्टाचार करते है और काले धन में वृद्धि करते है। अतः जनता को चुनाव में मतदान करते समय ऐसे नेताओं से परहेज कर लेना चाहिए। अनेक बार जन आंदोलन भी काले धन के खिलाफ हुए। 2014 के चुनावों से पहले काले धन के खिलाफ तथा स्विस बैंक से काले धन को वापस लाने की मांग को लेकर योग गुरू बाबा रामदेव का आंदोलन भी सुर्खियों में रहा।

काले धन पर 2015 का कानून

काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू किया गया, द्वारा विदेशी आय के संबंध में कर से बचने के प्रयास को आपराधिक दायित्व के रूप में शामिल किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी संपति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है तो संबंधित व्यक्ति को तीस प्रतिशत की दर से कर का भुगतान व इसी के बराबर दण्ड राशि का भुगतान करना होगा।

इस कानून के द्वारा संपति को घोषित न करने के मामले में तीस प्रतिशत की दर से कर अधिरोपण के साथ साथ छिपाए गए कर की राशि का तीन गुणा भुगतान या अघोषित आय के 90 प्रतिशत भाग या परिसंपति के मूल्य का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। यह कानून जानबूझकर कर कर चोरी हेतु 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि काला धन का कानून जुलाई 2015 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अपराधियों को आरोपी बनाने व उनकी जांच व कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती परंतु सुप्रीमकोर्ट ने इस रोक को हटा दिया, जिससे यह कानून भूतलक्षी प्रभाव से भी काम करेगा।

वर्तमान में आवश्यकता

काला धन किसी भी देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। इसे रोकना बहुत जरूरी होता है अन्यथा यह देश की अर्थव्यवस्था को बरबाद कर देता है। काले धन को रोकने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना होगा, कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करना होगा और नागरिक शिकायत निवारण की ठोस प्रणाली में विश्वास पैदा करना होगा। साथ ही काले धन का उपयोग करने का सबसे बड़ा चैनल चुनाव है, अतः चुनाव को पारदर्शी कराने की व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। तय सीमा से अधिक धन खर्च पर उम्मीद्वार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी तथा जनता भी यदि चुनाव में उम्मीद्वार से धन लेती है, उनमें भी दोषियो को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है कि हमें देश की कर प्रणाली में सुधार करना होगा। आयकर की दर अत्यंत कम होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को अपनी आय प्रदर्शित करने में परेशानी ना हो। भारत की बहुसंख्यक आबादी छोटे मोटे कार्य करती है तथा अपनी सीमित आय का रिटर्न नहीं भरती, ऐसी स्थिति में हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि डिजिटल भुगतान अधिकाधिक हो तथा हर व्यक्ति बैंक के माध्यम से भुगतान करे तो हम काले धन पर लगाम लगा सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. 'काला धन' श्वेत पत्र, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, पृ. 11
2. जनसत्ता का अंक, 15 दिसंबर, 2004
3. नई दुनिया का अंक, 19 जुलाई, 2018
4. जनसत्ता का अंक, 15 दिसंबर, 2004
5. मनी लांड्रिंग FAQ published by Financial Action Task Force, 2011
6. मीना कौंडल, भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव आलेख, हिम शिमला लाईव, अंक 14 जनवरी, 2017

❖◆❖